अंत्योदया–सरल

डिजिटल हरियाणा

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता (योजना)

पात्रताः

1. हरियाणा राज्य के अधिवासी अथवा हरियाणा राज्य में कार्यरत, जिनके अपना या दत्तक पुत्र न हो, अपितु लडकी/लडकीयां हो लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगें।
2. इस योजना के अन्तर्गत माता/पिता की 45 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर योग्य परिवार योजना का लाभ 15 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त कर सकता है। माता के जीवित होने की स्थिति में लाभ की राशि माता के खाते में जायेगी। यदि माता जीवित नही है तो पिता आवेदन कर सकता है और यह लाभ पिता को दिया जायेगा।

   परिवार की सभी साधनों से वार्षिक आय 2,00,000/– रू0 से कम हो।

अपवाद

सामाजिक सुरक्षा लाभ देने हेतू सरकारी अधिसूचना में ''पैंशन'' से अभिप्राय आय की प्राप्ति अथवा अन्य स्त्रोत से आय व जिसमें योजनाएं शामिल हैः

* प्रोविडेंट फण्ड, अथवा

* किसी भी स्त्रोत से आय में व्यवसायिक बैंक, वितीय संस्थान अथवा बीमा आदि शामिल है।

उपलब्ध लाभः

1. रू0 2500/– प्रतिमास 01.04.2021 से लागू।

आवश्यक दस्तावेजः

1. आयु के सम्बन्धः (24.08.2018 से पूर्व जारी निम्नलिखित में से कोई एक)
   - जन्म प्रमाण–पत्र। (रजिस्ट्रार, जन्म एंव मृत्यु द्वारा जारी)।
   - विद्यालय प्रमाण–पत्र (5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा या 10वीं कक्षा)।
   - ड्राईविंग लाईसैंस।
   - पासपोर्ट।
   - फोटोयुक्त पैन कार्ड।

- मतदाता पहचान–पत्र।
- मतदाता सूची में आवेदक का नाम फोटो सहित।

2. निवास के सम्बन्धः (निम्नलिखित में से स्वंय सत्यापित एक जो 5 वर्ष पूर्व में जारी किया गया हो):–
   - राशन कार्ड।
   - मतदाता पहचान–पत्र।
   - मतदाता सूची में आवेदक का नाम फोटो सहित।
   - उपरोक्त में से अगर आवेदक के पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नही है, वह शपथ पत्र देंगे जिसकी वैरिफिकेशन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अन्य दस्तावेजों के आधार पर की जायेगी।

3 अन्य दस्तावेज
   - आधार कार्ड (ऐच्छिक)
   - आवेदक के बचत खातों का विवरण (पास बुक की फोटो प्रति सहित)।
   - आवेदक का परिवार पहचान पत्र।

नोटः– 60 वर्ष की आयु के पश्चात लाडली पैंशन को वृद्वावस्था सम्मान भत्ता योजना में बदल दिया जायेगा।

सेवा के लिए फीसें:

सरकारी प्रभार	केन्द्र सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
कोई फीस नहीं	रू0 30 / –	रू0 30 / –

सेवा का अधिकार समय सीमाः 60 दिन।